न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 242/2016/223 आरटीए

कलावती उर्फ दुर्गा पुत्री सादुलसिंह पत्नि राजेन्द्र सिंह कस्वां जाति जाट निवासी चक 15 एमजेडी हाल आबाद जमाल तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

–––अपीलांट/वादिया

बनाम

महेन्द्रसिंह पुत्र बहादरराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ जंक्शन।

–––रेस्पो0/प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया मु.न. 441/2015 अनवानी कलावती बनाम महेन्द्रसिंह

उपस्थित :–
श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलांट
श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक 28.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कि वादिया के दादा बहादरराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 एमजेडी खाता सं. 54/50 मे 2.405 है0 भूमि दर्ज है तथा इस भूमि अलावा वादिया के दादा के नाम चक 14 एमएमके मे 0.493 है0 व चक 11 डीएलपी मे 0.470 है0 भूमि है। वादिया के दादा बहादरराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज व कानूनी वारिस वादिया व प्रतिवादी है। वादिया के पिता सादूलसिंह पुत्र बहादरराम मानसिक रूप से कमजोर थे तथा अपना भला बुरा समझने मे असमर्थ थे तथा वे अपने जीवन के दायित्व सही प्रकार से नही निभाते थे वादिया के जन्म के बाद वादिया की माता वादिया के पिता को छोडकर चली गई। आज से 10 वर्ष पूर्व वादिया का पिता सादुलसिंह घर छोड़कर चला गया उसके बाद वादिया के पिता सादुलसिंह की बहुत खोज की लेकिन सादुलसिंह का कोई अता पता नही चला। वादिया के दादा व ताया ने वादिया के विवाह व भरण पोषण के लिये काफी ऋण लिया था वादिया के दादा बहादर राम ने वादिया की शादी के उपरांत वादिया की हक व हिस्सा की चक 14 एमएमके मे 0.493 व चक 11 डीएलपी मे 0.470 है0 कुल 0.963 है0 भूमि विक्रय कर दी। वादिया के हिस्सा मे चक 11 डीएलपी व चक 14 एमएमके की 0.963 है0 व चक 12 एमजेडी की 0.442 है0 भूमि आई जिसमे चक 11 डीएलपी व 14 एमएमके की भूमि विक्रय की जा चुकी है। शेष चक 12 एमजेडी मे 0.442 है0 भूमि बचती है। जिसकी घोषणा का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादी द्वारा राजीनामा पेश किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादिया खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. अपील प्रस्तुत बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 एवं रिकार्ड तहत का तलब किया गया। अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। ण

3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट व रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस अपील व राजीनामा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अनवानी अपील मे दोनो पक्षकारान क मध्य राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा प्रथम पक्ष के दादा व द्वितीय पक्ष के पिता स्व. बहादरराम पुत्र रामलाल जाति जाट के नाम से चक 14 एमएमके मे 0.493 है0 चक 11 डीएलपी मे 0.470 है0 व चक 12 एमजेडी मे 2.405 है0 कुल 3.368 है0 भूमि थी उक्त भूमि मे अपीलांट के पिता स्व. सादुलसिंह व द्वितीय पक्ष महेन्द्रसिंह बहिस्सा बराबर के हकदार थे। अपीलांट के पिता भोले भाले व्यक्ति थे व अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नही था लगभग 13 वर्ष पूर्व सादुलसिंह घर से लापता है जिनका आज तक कही पता नही चला। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य स्व. बहादरराम के जीवनकाल मे ही उनके धारण की भूमि का बंटवारा हो गया था। प्रथम पक्ष के हिस्सा मे अच्छी मंदी किस्म के अनुसार चक 14 एमएमके की 0.493 है0 व चक 11 डीएलपी की 0.470 है0 एवं चक 12 एमजेडी की 0.442 है0 कुल 1.405 है0 भूमि प्राप्त हुई व द्वितीय पक्ष को चक 12 एमजेडी की 1.963 है0 भूमि प्राप्त हुई व इसी अनुसार भूमि पर काबिज हो गये। प्रथम पक्ष ने अपने हिस्सा की भूमि मे से चक 14 एमएमके की 0.493 है0 व चक 11 डीएलपी की 0.470 है0 भूमि विक्रय कर दी उक्त बैयनामा प्रथम पक्ष के दादा स्व. बहादरराम द्वारा करवाया गया था परन्तु विक्रय का पूर्ण प्रतिफल प्रथम पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया था। प्रथम पक्ष का अब स्व. बहादरराम के नाम से दर्ज चक 12 एमजेडी की 2.405 है0 भूमि मे 0.442 है0 हिस्सा है व शेष हिस्सा 1.963 है0 द्वितीय पक्ष का है। अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया मे घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया था जिसके विरूद्ध न्यायालय मे उपरोक्त अनवानी अपील लम्बित है। उक्त अपील मे दोनो पक्ष की सहमति से स्व. बहादरराम के नाम चक 12 एमजेडी की 2.405 है0 मे प्रथम पक्ष 0.442 है0 एवं द्वितीय पक्ष 1.963 है0 भूमि के खातेदार है इसी अनुसार दोनो पक्षो को खातेदार घोषित किया जाकर वाद डिक्री किया जावें। अतः मुताबिक राजीनामा अपील डिक्री की जावें।

5. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा अपने दादा स्व. बहादरराम के नाम दर्ज भूमि के संबंध मे घोषणा का अनुतोष चाहते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि स्व. बहादरराम के नाम दर्ज है। स्व. बहादरराम के दो पुत्र

सादुलसिंह व रेस्पो0 महेन्द्रसिंह है। स्व. बहादरराम पुत्र रामलाल जाति जाट के नाम से चक 14 एमएमके मे 0.493 है0 चक 11 डीएलपी मे 0.470 है0 व चक 12 एमजेडी मे 2.405 है0 कुल 3.368 है0 भूमि थी उक्त भूमि मे अपीलांट के पिता स्व. सादुलसिंह व रेस्पो0 महेन्द्रसिंह बहिस्सा बराबर के हकदार थे। सादुलसिंह लगभग 13 वर्षो से लापता है तथा अपीलांट लापता सादुलसिंह की पुत्री है। अपीलांट के कथनानुसार चक 14 एमएमके की 0.493 है0 व चक 11 डीएलपी की 0.470 है0 एवं चक 12 एमजेडी की 0.442 है0 कुल 1.405 है0 भूमि प्राप्त हुई व रेस्पो0 महेन्द्रसिंह को चक 12 एमजेडी की 1.963 है0 भूमि प्राप्त हुई व इसी अनुसार भूमि पर काबिज हो गये। अपीलांट ने अपने हिस्सा की भूमि मे से चक 14 एमएमके की 0.493 है0 व चक 11 डीएलपी की 0.470 है0 भूमि विक्रय कर दी उक्त बैयनामा अपीलांट के दादा स्व. बहादरराम द्वारा करवाया गया था। अपीलांट का अब स्व. बहादरराम के नाम से दर्ज चक 12 एमजेडी की 2.405 है0 भूमि मे 0.442 है0 हिस्सा है व शेष हिस्सा 1.963 है0 रेस्पो0 महेन्द्रसिंह का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये यह उल्लेखित करते हुए दावा खारिज कर दिया कि ''प्रश्नगत भूमि बहादरराम पुत्र रामलाल के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादिया के द्वारा बहादरराम की मृत्यु होना जाहिर किया है जबकि बहादरराम का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नही किया है। बहादरराम के दो पुत्र प्रतिवादी व सादुलसिंह होना जाहिर किया है तथा सादुलसिंह गत 10 वर्षो से लापता होना जाहिर किया है इस बाबत भी कोई प्राथमिकी रिपोर्ट व सक्षम न्यायालय का प्रमाण पत्र पेश नही किया है। इस प्रकार वाद वादिया समुचित रिकार्ड के अभाव मे खारिज किया जाता है।'' अपीलांट द्वारा अपील के दौरान फार्म नं. 3 के साथ चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र भादरराम उर्फ बहादरराम, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र बहादरराम, चित्रप्रति वादपत्र कलावती उर्फ दुर्गा बनाम हर आम खास सिविल न्यायाधीश संगरिया, चित्रप्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि प्रस्तुत किये गये है जिसके अनुसार स्व. भादरराम उर्फ बहादरराम की मृत्यु दिनांक 13.01.2015 को हो चुकी है। बहादरराम की मृत्यु के बाद उसके जायज व कानूनी वारिस महेन्द्रसिंह व सादुलसिंह है। ग्राम पंचायत धौलीपाल प्रमाण पत्र के अनुसार कलावती पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी जमाल तहसील व जिला सिरसा के पिता का नाम सादुलसिंह पुत्र बहादरराम जाति जाट निवासी धौलीपाल है। सादुलसिंह गत करीब 12 वर्षो से लापता है। सादुलसिंह की इकलौती संतान कलावती है। चित्रप्रति न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संगरिया के वादपत्र के अनुसार कलावती उर्फ दुगा पुत्री सादुलसिंह द्वारा सादुलसिंह 12 वर्ष से लापता होने के उपरांत सादुलसिंह की प्रकल्पित मृत्यु होने का अनुतोष चाहते हुए वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय के जरिये लगाये गये आक्षेप समाप्त होने कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना न्यायोचित है तथा राजस्थान भू–राजस्व

(भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 138(ाा) मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार जब किसी अधिकारधारी के बारे मे, जिसको अधिकार अभिलेख अथवा वार्षिक अभिलेख मे दर्ज किया गया है–चाहे वह उसमे गैरहाजिर (अनुपस्थित) अथवा कब्जा रहित (गैरकाबिज) के रूप मे वर्णित हो अथवा नही, उन लोगो को पांच साल तक पतान न चले जिनके द्वारा यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतः सुनता तो नामान्तरण की तस्दीक करने वाला अधिकारी (जब तक उसको कोई विपरीत कारण दिखाई न दे) यह मान लेगा कि वह मर गया है एवं तद्नुसार आज्ञा पारित कर देगा, परन्तु अधिकार अभिलेख या सालाना अभिलेख से उसका नाम हटाये जाने की आज्ञा देने से पहले ऐसे अधिकारी को अपने आपको संतुष्ट कर लेना चाहिए कि गैरहाजिर व्यक्ति के बारे मे यह मालूम करने के लिए आया वह जीवित है और उसको उपस्थित होने के अवसर प्रदान करने हेतु सारी युक्ति संगत कोशिश कर ली गई। हस्तगत प्रकरण मे बहादरराम का पुत्र सादुलसिंह के लापता होने के फलस्वरूप सिविल न्यायाधीश न्यायालय संगरिया मे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु वाद वर्ष 2016 मे प्रस्तुत किया जा चुका है तथा ग्राम पंचायत धौलीपाल द्वारा दिनांक 23.10.2017 को जारी प्रमाण पत्र मे भी सादुलसिंह को लगभग 12 वर्षो से लापता माना है। उपरोक्त परिस्थितियों मे राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 138(ाा) मे वर्णित प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाना उचित होगा कि राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 138(ाा) मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार सादुलसिंह को मृत मानते हुए उसके विधिक उत्तराधिकारीगण की जांच करते हुए सादुलसिंह के हक व हिस्सा की भूमि का विरासतन नामान्तरण उसके विधिक उत्तराधिकारीगण के नाम दर्ज किया जावें।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2016 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 138(ाा) मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार सादुलसिंह को मृत मानते हुए उसके विधिक उत्तराधिकारीगण की जांच करते हुए सादुलसिंह के हक व हिस्सा की भूमि का विरासतन नामान्तरण उसके विधिक उत्तराधिकारीगण के नाम दर्ज किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 30 / 2018 / 223 आरटीए

राजेन्द्रकुमार पुत्र जेठाराम जाति छिम्पा निवासी किकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलांट

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र जेठाराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामनिवास पुत्र बृजलाल जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पो0 / वादीगण

3. साहबराम पुत्र स्व. सहीराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. औमप्रकाश पुत्र स्व. सहीराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. श्यामसुन्दर पुत्र बृजलाल पुत्र साहबराम पुत्र स्व. सहीराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पो0 / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2014 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 38 / 2014 अनवानी शिवनारायण आदि बनाम साहबराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री भानुप्रताप सिंह अधिवक्ता अपीलांट, श्री राजेशकुमार छिम्पा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 एवं श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 ता 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2014 मे संशोधन किया जाता है कि चक 2 एनडीआर तहसील टिब्बी के खाता सं. 37 / 33 के प. न. 204 / 327 मु.न. 24 कि.न. 9 / 1 तादादी 0.127 है0 मे क्रयशुदा 0.0217 है0 भूमि मे से रेस्पो0 सं. 1 / वादी सं. 1 के नाम दर्ज 1 / 3 हिस्सा यानि 0.007233 है0 भूमि रेस्पो0 सं. 1 / वादी सं. 1 व अपीलांट को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। उपरोक्तानुसार ही राजस्व अभिलेख मे अंकन किया जावें। शेष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.14 यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 22.02.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ